उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

अतिक्रमण अपील वाद संख्या–18/2021

विमल राय उर्फ बिमल यादव बनाम् राज्य एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
04/04/25	अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी बिमल राय उर्फ बिमल यादव, पिता–स्व० उमानाथ राय, ग्राम–मतकमा, थाना–पतरातू, जिला–रामगढ़ के द्वारा अंचल अधिकारी, पतरातू के कार्यालय में दायर अतिक्रमण वाद संख्या–11/2020–21 में दिनांक–26.02.2021 को पारित आदेश विरूद्ध Under Section 11 of Jharkhand Public Land Encroachment Act-2000 के तहत् अपील दायर किया गया है। वाद को अंगीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, पतरातू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–मतकमा थाना–पतरातू के खाता सं०–27, प्लॉट सं०–02, रकवा–1.20 ए० भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम–मतकमा थाना–पतरातू जिला–रामगढ़ की भूमि का बदोबस्त रैयत है, जो थाना संख्या–49 खाता संख्या–27 प्लॉट संख्या–2 कुल रकवा–1.20 एकड़ भूमि है, जिसे अपीलार्थी के पिता–उमानाथ राय ने हुकुमनामा दिनांक–10.02.1944 के आधार पर भूतपूर्व जमींदार से प्राप्त किया था। अतिक्रमण वाद संख्या–11/2020–21 में अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा दिनांक–26.02.2021 को Sub-Section (2) of Section-06 के तहत नोटिस दिया गया था। जिसमें अपीलार्थी विमल राय को मौजा–मतकमा के खाता संख्या–27 प्लॉट संख्या–2 रकवा–60 डी० भूमि के अंतर्गत की सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण मानते हुए JPLE अधिनियम–2000 की धारा–2(6) के तहत अपीलार्थी को 15 दिनों के भीतर उक्त भूमि अपने खर्च पर खाली करने अन्यथा भारतीय दंड संहिता–1860 की धारा–188 के अंतर्गत दण्ड/जुर्माना का आदेश दिया गया। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात अपीलार्थी को अपना उत्तर देने का अवसर नहीं दिया गया। अंचल अधिकारी, पतरातू ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बयान के तथ्यों को देखे बिना तथा मामले की सुनवाई किए बिना ही अपीलार्थी को पूर्व में कोरोना काल के समय दिनांक–20.07.2020 को तथा उसके बाद दिनांक–04.08.2020 को धारा–5(1सी) के प्रावधानों के तहत प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया। अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा JPLE अधिनियम–2000 के तहत जारी नोटिस के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के समक्ष W.P.(C) No.-2065/2020 दायर किया। जिसमें	

माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक–29.09.2020 के आदेश पारित करते हुए अंचल अधिकारी, पतरातू को निर्देश दिया कि वे कोई भी आदेश पारित करने से पहले अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दें तथा उसके बाद ही उचित आदेश पारित करें। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश में अंचल अधिकारी, पतरातू को यह भी निर्देश दिया था कि उक्त भूमि की मापी अपीलार्थी की उपस्थिति में की जाए, लेकिन अंचल अधिकारी, पतरातू ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद अंचल अधिकारी, पतरातू ने अपीलार्थी को मौका दिए बिना व मामले की सुनवाई किए बिना अधिनियम की धारा–6(2) के तहत दिनांक–26.02.2021 को अपीलार्थी को नोटिस भेजा। प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पिता को हुकुमनामा से प्राप्त है। कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी ने अपनी भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने अपने कार्यालय में रखे राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किए बिना विवादित आदेश पारित करने में गलती की है। उक्त भूमि की जमाबंदी अपीलार्थी के पिता के नाम से खोली गई है तथा सरकार को लगान जमा करने के पश्चात अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा नियमित रूप से लगान रसीद भी जारी की जा रही है, लेकिन अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा उन तथ्यों पर विचार किए बिना तथा उनका मूल्यांकन किए बिना आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी तथा उसके पूर्वज पिछले 77 वर्षों से उक्त भूमि पर काबिज हैं तथा सरकार को लगान भुगतान करते हुए भूमि पर भौतिक कब्जा बनाए हुए हैं। विषयगत वाद अतिक्रमण का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भूमि के अधिकार, शीर्षक, हित और कब्जे का मामला है और ऐसी स्थिति में मामले को JPLE Act, 2000 के तहत तय नहीं किया जा सकता है। विचाराधीन भूमि ग्राम–मतकमा में स्थित है। ग्राम–मतकमा के ठीक बगल में ग्राम–लादी स्थित है और अपीलार्थी के पास दोनों गांवों में भूमि है, लेकिन अंचल अधिकारी, पतरातू ने भूमि का सीमांकन किए बिना यह निष्कर्ष दिया कि अपीलार्थी की रकवा–60 डी० भूमि सार्वजनिक भूमि है और धारा–6(2) के तहत आदेश पारित किया और 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया, इस प्रकार यह आदेश पूरी तरह से गलत और अवैध है और अंचल अधिकारी, पतरातू के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अपीलार्थी के पिता–उमानाथ राय के नाम पर भूमि के बंदोबस्त के बाद वह पूर्व जमींदार को रकवा–1.20 एकड़ भूमि का लगान दे रहा था और उसके पक्ष में जमींदारी रसीदें जारी की गई थीं और जमींदारी समाप्ति होने के बाद उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार को दिया गया है। जिसकी जमाबंदी रजिस्ट्रर–II खंड संख्या–1 पृष्ठ संख्या–37 में दर्ज है। जमाबंदी खोलने के बाद उक्त भूमि का लगान रसीद अपीलार्थी के पिता के पक्ष मे नियमित रूप से निर्गत किया जा रहा है। अपीलार्थी के पिता–उमानाथ राय की मृत्यु हो गई तथा वे अपने पीछे अपीलार्थी सहित छह पुत्रों को छोड़ गए तथा उनकी मृत्यु के पश्चात सभी पुत्रों ने आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा कर लिया तथा उक्त भूमि पर अपीलार्थी को रकवा–11 डी० भूमि प्राप्त हुई है, जिसमें उसने चहारदीवारी बना ली है तथा मकान बना लिया है तथा शेष भूमि पर अपीलार्थी के पांच अन्य

भाई का भी कब्जा है, उन्होंने भी अपना मकान बना लिया है तथा उक्त भूमि का उपयोग वे विभिन्न प्रयोजनों में कर रहे हैं।

उक्त के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्य न्यायालय द्वारा W.P.(C) No.-4612/2021 एवं W.P.(C) No.-1060,1026, 1290, 1291, 1299 With Contempt Case (Civil)No.-179/2021 की प्रति प्रस्तुत करते हुए विचाराधीन वाद को J.P.L.E Act, 2000 के तहत पोषणीय नहीं मानते हुए अपील आवेदन स्वीकार करने व विचाराधीन भूमि का अद्यतन लगान रसीद अपीलार्थी के नाम से निर्गत करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया।

अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–11/2020–21 के संबंध में कहना है कि विमल राय उर्फ बिमल यादव के द्वारा मौजा–मतकमा के खाता नं०–27 प्लॉट नं०–02 रकवा–0.60 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किये गये भूमि का नक्शा सहित स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक किया गया है। दिनांक–01.02.2022 को राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल अमीन संयुक्त रूप से विमल राय उर्फ बिमल यादव के उपस्थिति में स्थल जाँच तथा मापी किया गया। जाँचोपरांत मौजा–मतकमा के खाता नं०–27 प्लॉट नं०–01 में मध्ये रकवा–0.04 एकड़, प्लॉट नं०–02 में मध्ये रकवा–0.43 एकड़ एवं मौजा–लादी के खाता नं०–44 प्लॉट नं०–01 में मध्ये रकवा–0.13 एकड़ भूमि पर अवैध रूप से अर्द्धनिर्मित मकान एवं चाहरदीवारी किये हुए। उक्त भूमि सर्वे खतियान के अनुसार मौजा–मतकमा के खाता नं०–27 प्लॉट नं०–01, 02 क्रमशः कुल रकवा–20.32 एकड़, 20.37 एकड़ किस्म जमीन–जंगल एवं मौजा–लादी के खाता नं०–44 प्लॉट नं०–01 कुल रकवा–37.00 एकड़ किस्म–जंगल दर्ज है। इस प्रकार मौजा–मतकमा के खाता नं०–27 प्लॉट नं०–01 रकवा–0.04 एकड़, प्लॉट नं०–02 रकवा–0.43 एकड़ एवं मौजा–लादी के खाता नं०–44 प्लॉट नं०–01 रकवा–0.13 एकड़, कुल रकवा–0.60 एकड़ भूमि पर विमल राय उर्फ बिमल यादव के द्वारा अतिक्रमण किये गये भूमि का नक्शा सहित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त के आलोक में झारखण्ड सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम–1956 की धारा–3 अंतर्गत प्रपत्र–I में तथा धारा–6(2) अंतर्गत प्रपत्र–II में नोटिस निर्गत की गई है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अतिक्रमित भूमि के संबंध में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकार, पतरातू द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या–11/2020–21 प्रारम्भ करते हुए JPLE Act, 2000 की धारा–6(2) के तहत् अतिक्रमणकारी को विधिवत प्रक्रिया के तहत् सुनवाई करते हुए दिनांक–26.02.2021 को नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु विषयगत वाद में अपीलार्थी के पिता के नाम से जमाबंदी कायम है ऐसी परिस्थिति में विचाराधीन वाद JPLE Act, 2000 के बजाय B.L.R Act, 1950 की धारा–4(h) के तहत कार्रवाई किया जाना विधि–सम्मत प्रतीत होता है।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना तथा बहस के दौरान उपस्थापित कागजातों का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि अतिक्रमण वाद

संख्या–11/2020–21 में अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा दिनांक–26.02..2021 को पारित आदेश के आलोक में प्रश्नगत अतिक्रमित भूमि मौजा–मतकमा के खाता नं०–27 प्लॉट नं०–01, 02 क्रमशः कुल रकवा–20.32 एकड़, 20.37 एकड़ किस्म जमीन–जंगल एवं मौजा–लादी के खाता नं०–44 प्लॉट नं०–01 कुल रकवा–37.00 एकड़ किस्म–जंगल दर्ज है, से अतिक्रमण हटाने हेतु की गई कार्रवाई के विरूद्ध दिनांक–17.0.3.2021 को अपील आवेदन दायर किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा दायर W.P.(C) No.-2065/2020 में पारित आदेश के आलोक में अतिक्रमणकारी को JPLE Act, 2000 की धारा–6(2) के तहत् नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक–26.02.2021 को कार्रवाई की गई है। माननीय उच्च न्यायालय वाद संख्या W.P.(C) No.-2065/2020 में यह आदेश पारित किया गया है कि, "Considering the aforesaid facts, I am of the view that the petitioner is required to be heard by the respondent No.-4 as mandated under Section 5 of the Act, 1956 and to pass appropriate order under Section 6 of the Act, 1956 after providing due opportunity to him/his representative. Till the respondent No.-4 pass an order under Section 6 of the Act, 1956, the parties shall maintain status-qua, as existing today, with regard to the land in question." साथ ही अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि अंचल अधिकारी, पतरातू द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या W.P.(C) No.-2065/2020 में पारित आदेश एवं संलग्न कागजातों के आलोक में अभिलेख अंचल अधिकारी, पतरातू को Remand करते हुए आदेश दिया जाता है कि सर्व प्रथम यह जाँच करते हुए कि यदि प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी संदेहात्मक है, तो उसे रद्द करने हेतु उचित कार्यवाही करेंगे। तदोपरांत JPLE Act, 2000 की सुसंगत धाराओं के तहत तार्किक व मुखर आदेश पारित करते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अभिलेख अंचल अधिकारी, पतरातू को अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस भेंजे।

इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 04/04/25

उपायुक्त,
रामगढ़।

Chandan 04/04/25

उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by CHANDAN KUMAR
Date: 2025.04.17 08:02:31 +05:30
Location: 192.168.76.197